न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-सतना

श्रीमती पुष्पा तोमर पत्नी स्व. बल्वीर सिंह तोमर निवासी महात्मा गांधी मार्ग तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) .... प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला सतना (म.प्र.) . प्रतिप्रार्थी

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 4066/दो/2015 पुनरीक्षण को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1 यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प एवं कार्यालय जिला पंजीयक जिला सतना के आदेश दिनांक 18.05.2006 के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 4066/दो/2015 प्रस्तुत किया गया था जिसमें तारीख पेशी दिनांक 07.04.2017 नियत की गई थी।

2 यहकि, उक्त तारीख पेशी से पूर्व प्रार्थी के अभिभाषक श्री बाई.पी.शर्मा थे। जिन्होने उक्त प्रकरण में पैरवी हेतु ग्वालियर के स्थानीय अधिवक्ता श्री के.के.द्विवेदी को अभिभाषक पत्र एवं संबंधित फाईल कोरियर डाक से भेजी गयी थी। जो अभिभाषक को समय तीन बजे दोपहर में प्राप्त हुयी थी। चूकि उक्त प्रकरण अद्म पेरवी मे निरस्त कर दिया गया था। तथा दोपहर बाद रिफरेंस हो जाने से वर्तमान प्रकरण को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिये यह आवेदन आज दिनांक को प्रस्तुत किया जा रहा है।

3 यहकि, अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है - ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 41, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1400, 1995 आर.एन. 411 अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्याय दृष्टांत पर विधिवत् विचार किया जाकर प्रकरण को न्यायहित में पुनः स्थापित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित होगा।

4 यहकि, अन्य आधार तर्को के समय अभिलेख अवलोकन कर मौखिक रूप से निवेदन किये जायेगे।

अतः निवेदन है कि रेस्टोरेशन आवेदन-पत्र स्वीकार कर पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 4066/दो/2015 को पुनः स्थापित कर प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों पर किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 07/04/2017

निवेदक

श्रीमती पुष्पा तोमर पत्नी स्व. बल्वीर सिंह तोमर निवासी महात्मा गांधी मार्ग तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) .... प्रार्थी

द्वारा अभिभाषक
के.के.द्विवेदी

इस्त० 9075-II/17 सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
17/4/17	आवेदक अधिवक्ता श्री के०के० त्रिवेदी उपस्थित होकर निवेदन किया कि R-4066-II/15 दिनांक 7/4/17 को अनुपस्थिति में अदमपैरवी में समाप्त हो गया है। आवेदक का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इस्त० आवेदन स्वीकार किया जाता है। अतः R-4066-II/15 पुनःस्थापन पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस्त० आवेदन पत्र दाखिल किया जाता है।	